न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 6/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रणवीर सिंह पुत्र महिपाल जाति यादव

2. तरूण पुत्र महिपाल जाति यादव निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:---वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 हरिसिंह पुत्र ओमकार सिंह यादव (मृतक)

2 महिपाल सिंह पुत्र हरिसिंह यादव

3 कृष्ण गोपाल पुत्र हरिसिंह यादव निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:-- प्रतिवादीगण रेस्पो0

4 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, किशनढबास

:--- लैंड होल्डर रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 19.12.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमरसिंह यादव

2. वकील रेस्पो0स03 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 17.03.21

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/18 (447/2007) में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अबेटमैंट में खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा तहत अदाल में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 तथा 53 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया था । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 03 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 01 का देहान्त दिनांक 28.9.17 को हो चुका है, परन्तु वादी द्वारा आज तक उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिये वाद स्वतः ही अबेट हो चुका

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

है । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर वादी का वाद अबेटमैंट में खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि हमने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व 09 तथा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किये थे, जिसमें मृतक हरिसिंह के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लेने के कारण स्पष्ट किये थे, जिन पर तहत अदालत ने गौर नहीं किया । प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें स्वयं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा मृतक हरिसिंह के दो पुत्र महिपाल सिंह व कृष्ण गोपाल होना व चार पुत्रियां सुमित्रा देवी, विजय लक्ष्मी, संतोष देवी व शकुंतला होना दर्ज किया गया है । मृतक हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी की बाबत एक वसीयत महिपाल सिंह व कृष्ण गोपाल के हक में निष्पादित की थी, जो पहले से ही वाद में पक्षकार है । प्रतिवादी का भी यह कर्त्तव्य था कि वो मृतक की जानकारी न्यायालय को देते । उसके उपरान्त हम मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते । जैसा कि आदेथ 23 नियम 10 ए सी० पी० सी० में अभिनिर्धारित किया गया है । 2018 (2) आर० आर० टी० पेज 1178 में प्रतिपादित किया गया है कि एक विधिक वारिस की मृत्यु के कारण सम्पूर्ण अपील अबेट नहीं होगी । 2018-19 (सप्लीमैंटरी) आर० आर० टी० पेज 247 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जानकारी की तिथी से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है और वारिसान को रेकार्ड पर लेवे । 2019 (1) आर० आर० टी० पेज 771 में रेस्पो० ने अप्रार्थीगण की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी । तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं करनी चाहिये । प्रार्थना पत्र जानकारी की तिथि से अंदर मियाद माना है । 2008 (4) आर० एल० डब्ल्यू० एस० सी० पेज 3228 में संतोषजनक कारण बताया और विलम्ब को कंडोन किया तथा मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का आदेश दिया । उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 03 का कथन है कि मैंने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी० पी० सी० दिनांक 5.3.18 को ही प्रस्तुत कर निवेदन कर दिया था कि प्रतिवादी नम्बर 01 हरिसिंह का देहान्त 28.9.2017 को तथा हमारी माता बसन्ती देवी पत्नि हरिसिंह का देहान्त दिनांक 1.6.12 को हो चुका है । इनके विधिक वारिसान महिपाल, कृष्ण गोपाल, सुमित्रा देवी, विजय लक्ष्मी, संतोष देवी, शकुन्तला देवी है, जिनको रेकार्ड पर लिया जाना उचित होगा, सूचनार्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । इसके बाद मैंने दिनांक 11.4.18 को दावा अबेट किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । वादी ने दिनांक 22.8.18 को एक प्रार्थना पत्र विभिन्न कारण बताते हुये प्रस्तुत किया कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से वाद अबेट नहीं हुआ है । दिनांक 19.12.18 को वादी ने वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी ... देन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

एवं वाद के अबेटमैंट को अपास्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । इस प्रकार वादी ने जानकारी की तिथि से भी मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया है । देरी को तभी कंडोन किया जा सकता है, जबकि देरी का संतोषजनक कारण ,बताये जायें । जानकारी होने पर भी जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो वादी की लापरवाही है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रतिवादी नम्बर 03 के तहत अदालत में दिनांक 5.3.18 को प्रतिवादी हरिसिंह के देहान्त की सूचना तहत अदालत में दे दी गई थी । इसके बाद उसने दिनांक 11.4.18 को दावा अबेट कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था । दिनांक 22.8.18 को वादी ने तहत अदालत में विभिन्न कारण बताते हुये निवेदन किया था कि वाद अबेट नहीं हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि अगर यह मान लिया जावे कि वादी को पूर्व में हरिसिंह के देहान्त की ज ानकारी नहीं थी तो उसे दिनांक 22.8.18 को हरिसिंह के देहान्त की जानकारी हो ही चुकी थी । परन्तु इसके बावजूद भी उसने जानकारी की तिथि से 90 दिवस के अन्दर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना नहीं दिया । दिनांक 19.12.18 को वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि मियाद बाहर है । देरी को तभी कंडोन किया जा सकता,जबकि देरी का संतोषजनक कारण बताया जावे । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें यहां लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 03 द्वारा प्रतिवादी हरिसिंह के देहान्त की सूचना दी जा चुकी थी । इसके बावजूद भी वादी ने विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.12.2018 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर